न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 52/23

अनवान : –

1. महेन्द्रपाल पुत्र उदमीराम जाति ब्राहमण निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 7 थालड़का बारानी जिला हनुमानगढ़।
2. नवीन पुत्र उदमीराम जाति ब्राहमण निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

:–वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र मामचन्द जाति ब्राहमण निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मूर्तीचौक भादरा तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल **वादीगण**
श्री हरदत रूहिल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 17/7/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बी.एच.पी. के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 1 ता 4 सम्पूर्ण, किला नं0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल किता 30 की नहरी 6.2000है0 गै0मु0 खाला 0.1250है0, मु0न0 26 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 ता 13, 18 ता 23 कुल किता 21 की नहरी 4.2010है0, गै0मु0 खाला 0.1000है0, मु0न0 33 के किला नं0 2, 3 कुल किला 2 की नहरी 0.5060है0, कुल किता 53 की कुल 11.1320है0 जिसमें नहरी 10.9070है0, गै0मु0 खाला 0.2250है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाता की दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 महेन्द्रपाल का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 नवीन का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल का 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी असो पहले [illegible] बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने–अपने हिस्सा में आई भूमि का [illegible] काश्त शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बना हुआ है। राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 3 ने राजीनाम पेश किया व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनाम के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 बी.एच.पी. के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 1 ता 4 सम्पूर्ण, किला नं0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल किता 30 की नहरी 6.2000है0 गै0मु0 खाला 0.1250है0, मु0न0 26 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 ता 13, 18 ता 23 कुल किता 21 की नहरी 4.2010है0, गै0मु0 खाला 0.1000है0, मु0न0 33 के किला नं0 2, 3 कुल किला 2 की नहरी 0.5060है0, कुल किता 53 की कुल 11.1320है0 जिसमें नहरी 10.9070है0, गै0मु0 खाला 0.2250है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाता की दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 महेन्द्रपाल का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 नवीन का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल का 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

वादी संख्या 1 महेन्द्रपाल पुत्र उदमीराम खातेदारः– चक 2 बीएचपी करणपुरा के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 11 ता 13, किला नं0 17 ता 24 कुल किता 11 की 2.783है0

वादी संख्या 2 नवीन पुत्र उदमीराम खातेदारः– चक 2 बीएचपी के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 1 ता 10 व 14 की संपूर्ण, किला नं0 5 व 6 प्रत्येक में 0. 025है0 खाला कुल किता 11 की 2.783है0 जिसमें 0.050है0 खाला, नहरी 2.733है0

प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल पुत्र मामचन्द खातेदारः– चक 2 बीएचपी करणपुरा के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 26 के किला नं0 1 ता 4 सम्पूर्ण प्रत्येक में 0.025है0 खाला, किला नं0 7 ता 13, किला नं 18 ता 23 संपूर्ण, किला नं0 2, 3 संपूर्ण, मु0न0 25 के किला नं0 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025है0 खाला कुल किता 22 की 5.566है0 जिसमें मु0न0 26 के किला नं0 18, 19, 20, मु0न0 25 के किला नं0 16 प्रत्येक में 0.013है0 रास्ता, उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर गैर मुमकीन रास्ता 0.052है0, खाला 0.175है0 नहरी 5.414है0

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे तथा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़